भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 17

:Phone 2737446 Fax: 2661263 Website:bsgmp.net E_mail:bsgmadhypradesh@gmail.com

ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 समीक्षा बैठक दिनांक 1 से 3 अगस्त 2016
राज्य प्रशिक्षण केन्द गांधीनगर भोपाल

–: कार्यवाही विवरण :–

राज्य स्तरीय संगठनाधिकारियों की वार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 1 से 3 अगस्त 2016 तक राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल किया गया जिसमें निम्न संगठन संगठनाधिकारी उपस्थित रहे-

1	श्री प्रकाश दिसोरिया	राज्य सचिव राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2	श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर	एस0ओ0सी0 (गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3	श्री एच0सिद्धिकी	एस0टी0सी0 (स्काउट), राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4.	श्रीमती सी0के0उपाध्याय	एस0टी0सी0 (गाइड), राज्य मुख्यालय भोपाल ।
5	श्री हरिदत्त शर्मा	सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का0)संभा0कार्या0 इन्दौर
6	श्री बी0एल0 शर्मा	सहायक संगठन आयुक्त (स्काउट) संभागीय कार्या0जबलपुर
7	श्री प्रमोद गंगराड़े	सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का0) संभा0कार्या0 उज्जैन
8	श्रीमती उषा यादव	सहायक राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) संभा0कार्या0 भोपाल
9	श्री धीरज सोनी	प्र0 स0राज्य संगठन आयुक्त (स्का0)संभा0कार्या0सागर
10	श्री सुखदेव सिंह चौहान	प्र0 स0राज्य संगठन आयुक्त (स्का0)संभा0कार्या0 ग्वालियर
11	श्री बी0एल0चौरे	प्र0 स0राज्य संगठन आयुक्त (स्का0)संभा0कार्या0 शहडोल
12	श्री राजेश मेवाड़े	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला भोपाल
13	श्री सुशील बिल्लोरे	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला रायसेन
14	श्री गजराज सिंह	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला सीहोर
15	श्रीमती अनीता सोनेवाने	डी0ओ0सी0 (गाइड) जिला विदिशा
16	श्री उमेश श्रीवास्तव	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला बैतूल
17	श्री शंकरसिंह इक्टोरिया	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला ग्वालियर
18	श्री वीरसिंह यादव	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला मुरैना
19	श्रीमती शर्मिष्ठा जगताप	डी0ओ0सी0 (गाइड) जिला गुना
20	श्री अतिबल सिंह	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला भिण्ड
21	श्री सुशील कुशवाह	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला धार
22	श्री गणेश श्रीवास्तव	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला बडवानी
23	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला छिंदवाडा
24	श्री ललित मिश्रा	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला कटनी
25	श्री इनेन्द्र डहरवाल	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला बालाघाट
26	श्रीमती अनुभूतिसिंह	डी0ओ0सी0 (गाइड) जिला उज्जैन
27	श्री मनोज पटेल	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला देवास
28	श्रीमती कंचन सिंह	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला सागर
29	श्री मुंशीलाल अहिरवार	डी0ओ0सी0 (स्काउट) जिला टीकमगढ़
30	श्री शत्रुहनलाल साहू	सहायक ग्रेड--3 राज्य मुख्यालय भोपाल
31	श्री भारतसिंह यादव	सहायक ग्रेड-3 राज्य मुख्यालय भोपाल
32	श्री रामेश्वरदयाल सेन	वार्डन राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल

बैठक का प्रारंभ प्रातः 9.00 सर्वप्रथम ईशप्रार्थना से किया गया । एस0ओ0सी0 [illegible] सभी का स्वागत किया गया । तत्पश्चात् निर्धारित कार्यक्रमानुसार विषयों पर प्रस्तुतीकरण व समीक्षा [illegible]

1— युवा कार्यक्रम :—

1. राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता :—

माह अप्रेल से जुलाई 2016 तक 8 कार्यक्रमों में राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, सिवनी, पन्ना, की प्रतिभागिता निरंक रही । शेष सिंहस्थ सेवा कार्य को छोडकर रायसेन, बैतुल, झाबुआ, खण्डवा, अलीराजपुर, दतिया, अशोकनगर, श्योपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिंडौरी, [illegible] नीमच, मन्दसौर, पन्ना, दमोह की प्रतिभागिता निरंक रही है ।

निर्देश :— सभी ए0एस0ओ0सी0 को विशेष ध्यान देते हुये कार्यक्रम में प्रतिभागिता के निर्देश दिये गये

2. प्रधानमंत्री / उपराष्ट्रति शील्ड प्रतियोगिता पंजीयन फार्म :—

जिला राजगढ़, सीहोर, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, हरदा, झाबुआ, खण्डवा, [illegible] बुरहानपुर, जबलपुर, छिंदवाडा, सिवनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिडौरी, पन्ना, [illegible] नीमच, शाजापुर से पंजीयन फार्म अप्राप्त हैं ।

निर्देश :— सत्र 2015—16 के पंजीकृत दलों के लॉगबुक दिनांक 20 अगस्त 2016 तक प्रेषित करें

3. राज्य पुरस्कार जांच शिविर में प्रतिभागिता :—

राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार जांच शिविर हेतु आवेदन फार्म 10 मई 2016 तक प्राप्त [illegible] जाने थे किन्तु माह जुलाई तक प्राप्त हो रहे है जिसके कारण राज्य पुरस्कार जांच शिविर की तिथियॉ बढ़ाई जा रही है । आवेदन फार्म में आपेक्षित संशोधन होकर फार्म आज दिनांक तक अप्राप्त है । सभी के द्वारा 5 अगस्त तक फार्म भेजने का निर्णय लिया किन्तु दिनांक 8 से 12 अगस्त 2016 हेतु संख्या न होने पर स्थगित कर अगस्त के अंतिम सप्ताह में रखे जाने का विचार किया ।।

निर्देश :— सभी ए0एस0ओ0सी0 को विशेष ध्यान देते हुये कार्यक्रम में प्रतिभागिता के निर्देश दिये गये

4. संभागवार पावरपाइन्ट प्रस्तुती :—

संभाग भोपाल, सागर, उज्जैन इन्दौर द्वारा पावरपाइन्ट प्रस्तुती दी गई । [illegible] प्राप्त पत्रक के अनुसार प्रस्तुती दी गई । सभी जिलों में ब्लाक संघ निर्वाचन [illegible] प्रारंभ करने पर जो दिया गया ।

निर्देश :— सभी ए0एस0ओ0सी0 को विशेष ध्यान देते हुये कार्यक्रम में प्रतिभागिता के निर्देश दिये गये

5. स्टेट एडवेंचर प्रोग्राम :—

स्टेट एडवेंचर प्रोग्राम हेतु प्रत्येक जिले से 50—50 युवाओं की प्रतिभागिता [illegible] सुनिश्चित की जाना है इस हेतु अशासकीय नवीन विद्यालय जहॉ स्काउटिंग प्रारंभ [illegible] उन्हें भी सम्मिलित कर सकते है । श्री नरेन्द्र शर्मा द्वारा बताया कि छिंदवाड़ा का रेल्वे कन्शेसन नागपुर रीजन से बनने के कारण मध्यप्रदेश से कन्शेसन प्राप्त नहीं हो पाता है जिससे प्रतिभागिता में कमी आ जाती है । तदाशय के संबंध में महाराष्ट्र स्टेट नागपूर जिले से कार्यवाही की जाती है तभी कन्शेसन प्राप्त हो सकेगा । राज्य मुख्यालय से अपेक्षा ।

निर्देश :— राज्य सचिव भारत स्काउट एवं गाइड महाराष्ट्र से पत्राचार किया जाना है ।

6. मासिक कार्य प्रतिवेदन :—

सभी संगठन अधिकारियों से नियमित रूप से मासिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहे है [illegible] मेल किया जाता है तो फोन पर स्थिति ज्ञात कर लेवे । कुछ समय सीमा [illegible] दिखाकर अति विलम्ब से कार्य प्रतिवेदन प्रेषित किये का रहें है । अतः निर्णय [illegible] कि दिनांक 1 से 3 तारीख के माध्य मासिक कार्य प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से [illegible] तारीख तक राज्य मुख्यालय को प्राप्त हो जावे । माह अगस्त से 5 तारीख [illegible] प्रतिवेदन पर ही कार्यवाही में लिया जाकर मान्य किया जावेगा ।

मासिक उपस्थिति :— राज्य सचिव द्वारा बताया गया कि प्रत्येक कर्मचारियों की मासिक उपस्थिति निर्धारित समय सीमा में प्राप्त नहीं हो रही है । सभी ए0एस0ओ0सी0 अपने अधिनस्थ की उपस्थिति सभी डी0ओ0सी अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास से एवं अपने अधिनस्थ प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों की उपस्थिति प्रेषित करेगें ।

निर्देश :— सभी ए0एस0ओ0सी0 को निर्देश दिये गये कि निर्धारित 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपस्थिति प्रेषित करें ।

7. **सी0डी0प्रोजेक्ट** :— राष्ट्रीय स्तर के सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्वच्छ [illegible] सुन्दर भारत अभियान, मिशन इन्द्रधनुष, जल संरक्षण, वृक्षारोण अभियान, खुले में [illegible] नियंत्रण पर कार्यक्रमों पर कार्य करने हेतु चर्चा की गई । प्रत्येक कार्यक्रम [illegible] पेपर कटिंग, फोटोग्राफ्स, मय सूची के साथ कार्यक्रम समाप्ति पश्चात [illegible] तक राज्य मुख्यालय भोपाल को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ताकि राष्ट्रीय [illegible] समय सीमा में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सके ।

8. **17 वीं राष्ट्रीय जम्बूरी मैसूर कर्नाटक** :— 17 वीं राष्ट्रीय जम्बूरी मैसूर कर्नाटक के संबंध में राज्य सचिव महोदय द्वारा चर्चा करते हुये कहा कि जम्बूरी हेतु निर्धारित कोटे एवं संभाग को आवंटित कार्य दायित्व अनुसार स्काउट–गाइड का चयन करें एवं वेटिंग लिस्ट भी तैयार रख्वो ताकि समय पर उपयोग में लायी जा सके । अपने दायित्व अनुसार चयन कर सूची मय राशि के 30 अगस्त 2016 तक प्रेषित करें । यदि पूर्व में राशि जमा की गई है तो विवरण के साथ सूची प्रेषित करें । बैण्ड, लोकनृत्य, शारीरिक प्रदर्शन का चयन 30 अगस्त 2016 के पूर्व कराना सुनिश्चित करें ताकि समय पर तैयारी हो सके ।

कार्यवाही–एस0ओ0सी0 / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 (स्काउट / गाइड)

2. वयस्क प्रशिक्षण (स्काउट / गाइड) :—

राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्का / गा के द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2016–17 के अनुसार [illegible] प्रशिक्षण तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिविरों में प्रतिभागिता की जानकारी दी गई।

वयस्क प्रशिक्षण के अंतर्गत सभी संभाग के ए.एस.ओ.सी. एव डी.ओ.सी. को निर्देश [illegible] गया था कि वयस्क प्रशिक्षण शिविरों के संभाग व जिला स्तर के प्रस्ताव सूची सहित [illegible] स्तर पर होने वाले बेसिक कब / स्काउट मास्टर / गाइड केप्टन / फ्लाक लीडर / रोवर / [illegible] प्रशिक्षण सलाहकार कोर्स, प्रशिक्षण अध्ययन तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित फर्स्टएड, पायोनियरिंग, मेंपिंग, बेसिक एडवंचर कोर्स हेतु नामों की सूची बैठक में साथ लाये और जमा करावे। किन्तु सागर, जिला शिवपुरी, उज्जैन, जबलपुर ने अपूर्ण जानकारी जमा की है। शेष संभागो के द्वारा जानकारी जमा नही की गई।

निर्णयः–

1. उपस्थित सभी संगठन अधिकारियों ने सर्वानुमती से यह निर्णय लिया की दिनांक 10.08.2016 तक चाही गई समस्त जानकारी सूची सहित भेज देंगे और राज्य व राष्ट्रीय स्तर के सभी शिविरों एवं कार्यक्रमों में हमारे द्वारा अनिवार्य रूप से अवांटित कोटे अनुसार व लक्ष्य के अनुरूप प्रतिभागिता कराई जावेगी।
2. उपस्थित सभी संगठन अधिकारियों ने प्रत्येक जिले से 05 कब मास्टर, 05 फ्लाक लीडर [illegible] लीडर 05 रेंजर लीडर की प्रतिभागिता राज्य स्तर पर अनिवार्य रूप से कराने [illegible] हुए।
3. संगठन अधिकारियों ने यह प्रस्ताव रखा कि बेसिक स्काउट मास्टर / गाइड केप्टन [illegible] पहले संभाग में तथा जिला स्तर पर बेसिक स्काउट मास्टर अगस्त, सितम्बर 2016 [illegible] होने दे यदि संभाग व जिला वार्षिक योजना 2016–17 अनुरूप लक्ष्य की पूर्ति नही करता [illegible] माह अक्टूबर 2016 में राज्य स्तर पर बेसिक स्काउट मास्टर गाइड केप्टन शिविर आयोजित किया

जावे जिसमें हम सभी संगठन अधिकारी संभाग के प्रत्येक जिले से लक्ष्य के अनुरूप प्रतिभागिता कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

निर्देशः— राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्का/गा) के द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये गये

1. सभी शिविरो के प्रस्ताव 01 माह पूर्व सूची सहित अनिवार्य रूप से राज्य मुख्यालय [illegible] जिससे समय सीमा में मान्यता जारी की जा सके।
2. माड्यूलर कोर्स माह अगस्त सितम्बर 2016 तक सभी संभाग के जिलो में [illegible] आयोजित किये जावे।
3. 07 सितम्बर 2016 को वयस्क संसाधन समिति की बैठक आयोजित की जा कर [illegible] तक कार्यवाही विवरण राज्य मुख्यालय को भेजे।
4. राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित शिविरों तथा कार्यक्रमों को प्रतिभागिता हेतु प्रतिभागियों [illegible] दिनांक 10.09.2016 तक अनिवार्य रूप से भेजे।
5. आयोजित शिविरों के हिसाब प्रतिवेदन समय सीमा में राज्य मुख्यालय को भेजे।
6. राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों व शिविरों में कोई संभाग प्रतिभागिता नही कर रहा है तो 15 दिवस पूर्व सूचना दे जिससे अवांटित कोटा अन्य संभाग को अवांटित किया जा सके।

कार्यवाही—एस0टी0सी0/ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0 (स्काउट/गाइड)

3. पंजीयन :—

ए.ए.ओ.सी./डी.ओ.सी. से चर्चा के दौरान दल पंजीयन/कोटामनी एवं अंशदान राशि संबंधी निम्न बिन्दुओ पर चर्चा की गई। राज्य सचिव महोदय द्वारा दल पंजीयन राशि प्रेषण पर चर्चा की जिसमें सागर संभाग द्वारा अक्टूबर, श्री सुशील कुशवाह द्वारा 15 अगस्त, श्री [illegible] खण्डवा की राशि 15 अगस्त 2016 तक भेजने का आश्वासन दिया है।

1. विगत 03 वर्षो में भोपाल, सीहोर, रायसेन, हरदा, इन्दौर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ [illegible] छिंदवाड़ा शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विभाग के अंतर्गत धार एवं बड़वानी जिले [illegible] प्रतिशत लक्ष्य–पूर्ति की गई। साथ ही जिला विदिशा, राजगढ़, होशंगाबाद, [illegible] बुरहानपुर, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, ग्वालियर, शिवपुरी [illegible] मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, सागर, पन्ना, दमोह, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, [illegible] जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विभाग के शेष जिलो [illegible] की पूर्ति नही हो पाई है।
2. वर्तमान तक जिन जिलो से लक्ष्य के आधार पर पूर्ति नही की गई है के संबंध में चर्चा की गई और जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदि. वि. से सम्पर्क कर राशि शीघ्र जमा कराने हेतु निर्देश दिये गये।
3. विगत 05 वर्षो में जिला/संभाग स्तर से दल पंजीयन/कोटामनी राशि के साथ 03 प्रतिशत अंशदान राशि राज्य मुख्यालय में कुछ जिलो को छोडकर अधिकांश जिलो से जमा न करने के संबंध में चर्चा की गई। और यह अपेक्षा की गई की दल पंजीयन/कोटामनी राशि के साथ संस्थाओं की छात्रा संख्या के आधार पर अंशदान राशि भी अनिवार्य रूप से जमा कराई जाये। [illegible] ओ.सी.स्काउट भोपाल, सीहोर, मुरैना एवं कटनी के द्वारा पंजीयन अंशदान के संबंध में चर्चा [illegible] हुए कहा गया कि शासन स्तर से एक मात्र 05 प्रतिशत की राशि जिले से संकलित [illegible] निर्देश शासन द्वारा जारी किये गये है किन्तु पंजीयन/कोटामनी की राशि जमा करने [illegible] भी प्रकार का शासन स्तर से आदेश जारी न होने के कारण पंजीयन/[illegible] राशि लक्ष्य के आधार पर जमा कराने में कठिनाई आ रही है उचित होगा कि शिक्षा [illegible] आदिवासी विभाग से पृथक–पृथक पंजीयन/कोटामनी एवं अंशदान की राशि जमा [illegible] आदेश जारी कराये जावें।
4. राज्य मुख्यालय द्वारा वर्ष 2016–17 के निर्धारित लक्ष्य के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान ए. एस.ओ.सी. भोपाल, ग्वालियर के द्वारा कहा गया कि शाला संख्या के अनुपात से लक्ष्य अधिक निर्धारित किया गया है जबकि लक्ष्य के अनुसार संख्या में जिलो में शालाऐं नही है। राज्य सचिव

द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त ए.एस.ओ.सी एवं डी.ओ.सी. राज्य मुख्यालय द्वारा वर्ष 2016-17 के निर्धारित लक्ष्य की प्रति उपलब्ध कराई गई है देखे और जिलो में शालाओं की वास्तविक [illegible] के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण कर 15 दिवस के अंदर राज्य मुख्यालय को अवगत [illegible] आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य का परीक्षण कर पूर्व निर्धारित लक्ष्य संशोधित किया जा सकें।

अपेक्षाएँ :–

1. सभी जिलो से लक्ष्य–पूर्ति के साथ गोशवारा (दल गणना पत्रक) एवं दल पंजीयन [illegible] सूची अनिवार्य रूप से भेजी जावें।
2. पंजीयन / कोटामनी राशि के साथ राज्य की 03 प्रतिशत अंशदान राशि भी भेजी जावे।
3. जिले से संकलित पंजीयन राशि संभाग के माध्यम से भेजी जावे जिससे संभाग [illegible] प्राप्त कर राशि राज्य मुख्यालय को भेजी जा सकें। साथ ही जिलो से संकलित राशि [illegible] कार्यालय भेजते हुए एक प्रति गोशवारा पंजीयन सूची राज्य मुख्यालय को भी अनिवार्यतः भेजी जावें।

निर्देश :–1 राज्य सचिव द्वारा सभी को निर्देशित किया कि दल पंजीयन राशि माह अगस्त 2016 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें । साथ ही पंजीकृत दलों की सूची भी राज्य मुख्यालय प्रेषित करें । पंजीकृत दलों के चार्टर 30 सितम्बर 2016 तक जारी किये जाये ।

2. प्रत्येक जिले के पास दल पंजीयन के साथ प्राप्त पंजीयन फार्म व सूची आधार पर स्काउट–गाइड प्रवेश, प्रथम व द्वितीय सोपान, रोवर–रेंजर प्रवेश, निपुण, कब–बुलबुल प्रवेश, प्रमि द्वितीय, तृतीय की सूची व संख्या अनिवार्यतः तैयार कर 30 सितम्बर 2016 तक राज्य मुख्यालय को प्रेषित करें ।

कार्यवाही–कक्ष प्रभारी / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 (स्काउट / गाइड)

4. भण्डार (साजसज्जा) :–

प्रभारी लेखाधिकारी द्वारा भण्डार की शेष राशि व भौतिक सत्यापन की [illegible] कराया जिसमे श्रीमती शर्मिष्ठा जगताप के द्वारा निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन नहीं [illegible] के द्वारा भण्डार की शेष राशि नियमित रूप से प्रेषित नहीं किया जा रहा है, जो अपराधिक [illegible] स्वयं के व्यक्तिगत खातों में या नकद रखी जा रही है जो अपराधिक श्रेणी में आता है । अतः [illegible] की न्यनतम राशि छोड़कर नियमित रूप से भण्डार विक्रय राशि प्रेषित करें एवं 30 अगस्त 2016 तक भण्डार का पृथक से खाता संधारित कर इस कार्यालय को अवगत करावें ।

कार्यवाही–कक्ष प्रभारी / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 (स्काउट / गाइड)

5. लेखा शाखा :–

प्रभारी लेखाधिकारी द्वारा लेखा संबंधी स्पष्ट निर्देश दिये गये कि कार्यालय के किसी प्रकार की राशि बिना अनुमति कोई अग्रिम नहीं लिया जावे । मासिक आय–व्यय पत्रक प्रत्येक माह की [illegible] तारीख तक नियमित रूप से प्रेषित करें ।

बैठक में अधिकारी / कर्मचारियों के यात्रा भत्ता विसंगति पर चर्चा हुई जिसमे [illegible] द्वारा लेख अधिकारी को निर्देशित किया कि नियमित व संविदा कर्मचारियों [illegible] न्यायसंगत निर्धारण कर निर्देश जारी करें ।

भण्डार के शेष राशि के संबध में विसगति एवं समायोजन का कार्य 30 सितम्बर [illegible] पूर्ण कर अवगत करावे ।

कार्यवाही–कक्ष प्रभारी / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 (स्काउट / गाइड)

6. पत्रिका :–

बालचर रवि मासिक पत्रिका जिला शिवपुरी, व भिण्ड के संस्थाओं तक पत्रिकायें पहुंच नहीं रही है। पत्रिका में विज्ञापन नहीं छपने से विज्ञापन की राशि प्राप्त नहीं हो रहा है । मन्दसौर व शाजापुर जिले से पत्रिका राशि अप्राप्त है । वेबसाईट पर पत्रिका सदस्यता सूची अपडेट नहीं होने

के कारण सदस्यता समाप्ति संबंधी जानकारी नहीं हो पाता है । विज्ञापन की [illegible]
संबंधित से

निर्देश :-- निर्देश दिये गये कि पत्रिका की राशि प्रतिमाह मय पूर्ण पते सहित सूची तत्काल [illegible] **करें एवं राज्य मुख्यालय के पत्रिका कक्ष से सुनिश्चित कर लेवे । मासिक पत्रिका हेतु** कार्यक्रमों का **विवरण व फोटोग्राफ्स प्रेषित करें । राज्य मुख्यालय पत्रिका बेबसाईट** अपडेट करेगें [illegible] **मन्दसौर, नीमच की कितनी पत्रिका प्रेषित की गई है** ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 [illegible] करेगें।

कार्यवाही--कक्ष प्रभारी / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 (स्काउट / गाइड)

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / 2673 / रामु / गति. / समीक्षा बैठक / 2016
भोपाल, दिनांक 19/8/2016

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु--

1. माननीय राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2. संयुक्त राज्य सचिव, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3. राज्य संगठन / प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास पदेन जिला कमिश्नर (स्काउट / गाइड) जिला ....(म0प्र0) ।
5. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड) / जिला संगठन आयुक्त [illegible] संभाग / जिला मुख्यालय ....(म0प्र0) की ओर [illegible] उपरोक्त निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिन्दुवार आवश्यक [illegible] प्रतिवेदन भेजे ।
6. समस्त शाखा प्रभारी ....राज्य मुख्यालय ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश